HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 8954/2026
CNR: RJHC010636872026
URN: CRLMB / 19433U / 2026

Sandeep Alias Bholiya S/o Mir Singh, Aged About 36 Years, R/o Madhogarh, Police Station Satnali, District Mahendragarh Haryana At Present R/o Gali No. 06 Dabar Colony, Police Station City Bhiwani, District Bhiwani Haryana. (Lodged In Sub Jail Sanchore)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Dinesh Vishnoi
For Respondent(s)	:	Mr. Prem Singh Panwar, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

09/07/2026

1. प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना सांचौर, जिला जालौर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 447/2018, अपराध अन्तर्गत धारा 19/54, 14/57, 54 'ए' व 54 'डी' राजस्थान आबकारी अधिनियम के मामले में प्रस्तुत हुआ है।

2. मैंने बहस जमानत आवेदन पत्र सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

3. प्रार्थी–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि इस मामले में मुख्य अभियुक्त संजीव, जिससे बरामदगी हुई थी, उसकी जमानत दिनांक 12.11.2018 को हो चुकी है और सह–अभियुक्त महेश की जमानत दिनांक 18.09.2023 को हो चुकी है। प्रार्थी–अभियुक्त को अब गिरफ्तार किया जाकर पेश किया गया है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में तीन प्रकरण दर्ज हैं, परंतु राजस्थान आबकारी अधिनियम का कोई प्रकरण दर्ज नहीं है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 21.06.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। यह मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः इस आधार पर प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

4. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थी–अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

5. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया। इस मामले में सह–अभियुक्तगण की जमानत पूर्व में हो चुकी है।

6. अतः बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

7. परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी–अभियुक्त **संदीप उर्फ भोलिया पुत्र मीर सिंह,** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास–पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

46/Divyashri Maru/677